मेरठ विकास प्राधिकरण

की

85वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 07–8–2008

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–08–2008 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–8–08 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 12–00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रही:–

1.	श्री राम नवल सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती कामिनी चौहान रतन	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
3	श्री ओ0पी0 आर्य	प्रतिनिधि नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ	सदस्य
5.	श्री ए0के0 त्यागी	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0 गाजियाबाद।	सदस्य
6	श्री राम अधार राम	उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
7	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य
8	श्री एस0के0 मित्तल	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ	सदस्य
9.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	सचिव

प्राधिकरण की 83 वी बोर्ड बैठक दिनांक 31–5–08 एवं 84 वी बोर्ड बैठक दिनांक 05.7.2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्राधिकरण की 83 वी बोर्ड बैठक दिनांक 31–5–2008 एवं 84वी बोर्ड बैठक दिनांक 05.7.2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–4

शताब्दीनगर, गंगानगर, रक्षापुरम आवासीय योजनाओं हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण का प्रस्ताव–

गंगानगर एवं रक्षापुरम आवासीय योजनाओं में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में जल निगम, मेरठ द्वारा प्रस्तुत समय सारणी का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि यदि जल निगम समय सारणी के अनुसार सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण नहीं कराता है तो प्राधिकरण, जल निगम पर 5,000/– प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाने के लिए अधिकृत होगा। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जल निगम सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाने के लिए जो डी0पी0आर0 तैयार करेगा, उसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि यह कार्य जल निगम डिपाजिट वर्क के रूप मे कर रहा है इसलिये एस0टी0पी0 की निर्माण लागत 5 प्रतिशत कम करके धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा जो अन्य खर्च जल निगम करेगा, वह धनराशि 12.5 प्रतिशत सैटेज चार्जेज में सम्मिलित रहेगी।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–3

नगर निगम को प्राधिकरण की कालोनी के हस्तान्तरण पर हो रहे बिलम्ब पर बोर्ड द्वारा चिंता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि डिफेन्स एन्कलेव, श्रद्धापुरी योजना का हस्तानान्तरण एक सप्ताह के अन्दर हो जाना चाहिये तथा शेष योजनाओं के हस्तानान्तरण के लिये

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, प्रत्येक सप्ताह एक कालोनी का हस्तानान्तरण किये जाने जाने हेतु नगर आयुक्त से बार्ता कर कार्यवाही करेंगे। अपर आयुक्त (प्रशासन), प्राधिकरण एवं नगर आयुक्त, नगर निगम को उक्त कार्य के लिये कोआर्डिनेट करेंगें।

प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–9

जोनल प्लान बनवाने हेतु प्राप्त टेंडरों पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये 18 अगस्त तक कार्य आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।

प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–4

लोहियानगर योजना में अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय सम्बन्धी प्रस्ताव

लोहियानगर आवासीय योजना के अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अपने स्तर से कार्यवाही करते हुये नियमानुसार अलोकप्रिय भवनों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–2

दिल्ली रोड पर निर्मित बरात घर को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे बरात घरों एवं फार्म हऊसों के सम्बन्ध में सहयुक्त नगर नियोजक, एन0सी0आर0 की आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा इस आख्या पर जो कार्यवाही की गयी उसका भी बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया बोर्ड ने सहयुक्त नगर नियोजक, एन0सी0आर0 द्वारा प्रस्तुत आख्या की प्रशंसा की गयी

एवं निर्देश दिये गये कि उन्हें अच्छा कार्य करने के लिये रूपये 5,000/– पुरस्कार के रूप में दिया जाये। प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है उससे सन्तुष्ट न होते हुये निर्देश दिये गये कि आगामी बोर्ड बैठक में प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी उसका विवरण रखा जाये। मुख्य नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण इसका अध्ययन कर उसकी डिटेल रिपार्ट तैयार कर गठित कमेटी के समक्ष रखेंगे उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन के निर्देश दिये गये जिसमें अपर जिलाधिकारी नगर, अपर आयुक्त प्रशासन व नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त सदस्य होंगे, यह कमेटी मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक मामले पर विचार कर अपनी रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी।

मद सं0–4

ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि यह मामला ड्राप कर दिया जाय। कालान्तर में शासन द्वारा नियुक्त कन्सल्टेन्ट की रिपोर्ट के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–1

वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण राजस्व प्राप्तियां।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट स्वीकृति के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा इस बात को लेकर खेद प्रकट किया गया कि बोर्ड बैठक में नियमित रूप से बजट के सापेक्ष आय–व्यय का ब्यौरा माहवार प्रस्तुत नही किया जा रहा है। भविष्य में नियमित रूप से आय–व्यय का ब्यौरा रखा जाये।

मद सं0–8

मै0 दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन का शैक्षिक मानचित्र सं0 115/07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मै0 दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन के अशमनीय भाग को ध्वस्त न किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी है तथा निर्देश दिये गये कि शीघ्र अशमनीय भाग को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाये, बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दिनांक 22.7.2008 से पूर्व इस सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी इसका भी विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जब यह अवैध निर्माण हो रहा था तो उस समय के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता व जोन प्रभारी कौन थे उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पॉकेट ''एफ'' में कैंची उद्योग के भूखण्डो के आवंटन की शर्तो में शिथिलता किये जाने हेतु प्रस्ताव।

लोहियानगर योजना के पॉकेट ''एफ'' में कैंची उद्योग के भूखण्डो के आवंटन की स्थिति का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि अवशेष आवेदकों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जाये इस हेतु आगामी बोर्ड बैठक में अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक मद सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटे नम्बरान की भूमि को अर्जित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटे नम्बरो को अर्जन के प्रस्ताव को अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) को दिनांक 10.7.2008 को भेजे गये, उस पर अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कार्यालय से

कोई अग्रिम कार्यवाही न होने के कारण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि तहसीलदार, मेरठ विकास प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वयं अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) से सम्पर्क कर प्रस्ताव पर कार्यवाही करायें तथा आगामी बोर्ड बैठक में कृत कार्यवाही से अवगत भी करायें तथा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) को आगामी बोर्ड बैठक में बुलाया जाये।

प्राधिकरण की 84 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0–1

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है और आवंटियों द्वारा देय धनराशि पूर्ण जमा कर दी गयी है परन्तु विवाद अथवा मौके पर सम्पत्ति उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन का प्रस्ताव।

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विवादित भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा जो निर्देश दिये गये थे उसकी अनुपालन आख्या से बोर्ड अवगत हुआ तथा निर्देश दिये गये कि जिन लिपिकों/अधिकारियों द्वारा ऐसे आवंटन किये गये है उनके सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या तहसीलदार, सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे, आख्या सुस्पष्ट न होने की दशा में तहसीलदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मद सं0 2

दिल्ली देहरादून बाई पास मार्ग, मेरठ स्थित "एस्पन गार्डेन" का तलपट मानचित्र।

कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ।

मद सख्ंया 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में अर्जित ग्राम कुण्डा की भूमि खसरा सख्ंया–372 क्षेत्रफल 1–7–0 बीघा को अर्जन मुक्त/समायोजित करने के सम्बंध में प्रस्ताव।

कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ।

मद सं0 5

"इन्टीग्रेटेड अर्बन रिजुविनेशन प्लान" के अध्ययन हेतु कन्सल्टैन्ट के चयन हेतु बजट के सम्बन्ध में।

कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ।

मद संख्या–6

मेरठ विकास क्षेत्र में दौराला नगर पंचायत क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ।

अनुपूरक मद सं0–1

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के पॉकेट एम में दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड सं0 एम–558 के अद्यतन् क्रेता श्री संजय पुत्र श्री धारा शरण द्वारा आवंटित भूखण्ड की बजाय अन्य भूखण्ड पर निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ।

मद सं0–1

मेरठ महायोजना में आरक्षित औद्योगिक भूमि में प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में।

मेरठ महायोजना में आरक्षित औद्योगिक भूमि को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि अवशेष ग्रामों के खसरा नम्बरों को भी शीघ्र बोर्ड बनवाकर प्रदर्शित कर दिया जाये।

मद सं0–2

प्राधिकरण की लोहियानगर योजना में कैची उद्योग हेतु आवंटित भूखण्डों के आवंटियों को कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की लोहियानगर योजना में कैची उद्योग हेतु कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि आगामी पन्द्रह दिन के अन्दर प्रत्येक आवंटी को मौके पर आवंटित भूखण्ड का कब्जा दे दिया जाये तथा आवंटी का आवंटित भूखण्ड पर फोटो भी खींचा जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि जहॉ पर विकास कार्य नही हैं वहॉ पर विकास कार्य शीघ्र करा दिया जाये ताकि आवंटी को अपना व्यवसाय शुरू करने में दिक्कत न हो।

मद सं0–3

मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रों के सापेक्ष वाहय् विकास शुल्क के सम्बन्ध में वस्तुपरक प्रस्ताव।

मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट्र मानचित्रों के सापेक्ष वाहय विकास शुल्क पर बार्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन बिल्डर्स/विकासकर्ता द्वारा पूर्व में विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है उनके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण निर्णय लेते हुये अवशेष धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही करें तथा जो एक वर्ष में 16 तलपट मानचित्र स्वीकृत किये गये है उन कालोनाईजर/विल्डर्स को

वाह्य विकास शुल्क के मद में क्या सुविधायें दी जायेगी तथा क्या सुविधायें दी जा सकती है, आगामी बोर्ड बैठक में रखें। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिये कि जिस बिल्डर द्वारा नियमित रूप से किस्तें नहीं जमा की जा रही है उनको उपाध्यक्ष नोटिस जारी करें तथा वाह्य विकास शुल्क की वसूली करें, बोर्ड द्वार यह भी निर्देश दिये गये कि जब भी तलपट मानचित्र स्वीकृत किया जाये तो वाह्य विकास शुल्क के बराबर भूखण्ड मार्गेज करा लिये जॉये।

मद सं0–4

प्राधिकरण की गंगानगर योजना के पॉकेट एच में विद्युत सब स्टेशन से मिली हुई भूमि पर आवंटित भूखण्डों के सम्बन्ध में।

गंगानगर योजना पाकेट एच के भूखण्डों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण आवंटियों की जमा धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जाय।

अनुपूरक मद सं0–1

मेरठ विस्तारित क्षेत्र (दौराला क्षेत्र) महायोजना–2021 के सम्बन्ध में

प्राधिकरण सीमा में सम्मिलित किये गये दौराला क्षेत्र के 17 ग्रामों की प्रस्तावित महायोजना के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इसे यथाप्रस्तावित शासन में उच्च स्तरीय गठित समिति के पास भेज दिया जाये।

2– अध्यक्ष महोदय द्वारा दैनिक अखबारों में प्रकाशित विभिन्न निर्माणों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाये इसका अध्ययन कर उपाध्यक्ष आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करे।

3– मेरठ रूडकी महायोजना मार्ग पर ग्राम–दौराला में रिलायन्स इण्डस्ट्रीज के पेट्रोल पम्प का प्रस्ताव पूर्व बैठक में निरस्त किया गया था। बोर्ड के विशेष निर्देश पर मेरठ रूडकी महायोजना मार्ग पर ग्राम–दौराला में रिलायन्स इण्डस्ट्रीज के पेट्रोल पम्प की अनुमन्यता हेतु विशेष अनुमति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(मनोज कुमार)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(राम नवल सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

देवेन्द्र चौधरी
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ